राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप–3)

क्रमांक: F-61(11) ग्रावि./नरेगा/सा.अ./वि.जां./ हनुमानगढ़/09–10 दिनांक: 9·2·10
83/34

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा),
हनुमानगढ़

विषयः– ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया, पंचायत समिति नोहर, जिला हनुमानगढ़ के लेखों एवं कार्यों के माह दिसम्बर, 2009 में किए गए विशेष जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई कराने बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार के आदेश एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अ./2009–10 दिनांक 18.12.2009 के द्वारा ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया, पंचायत समिति नोहर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा योजना अन्तर्गत किए गए एवं करवाये जा रहे कार्यों एवं लेखों तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु विशेष जांच दल श्री पंकज अग्रवाल, परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस जांच दल ने दिनांक 23.12.2009 से 28.12.2009 तक ग्राम पंचायत के अभिलेख एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। **इस जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न की जा रही है।**

उक्त जांच प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं पर आपके स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है:–

1. <u>राशि वसूली की कार्रवाई</u>–

क्र. सं.	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	कार्यवार वसूली योग्य राशि (रूपये)	प्रस्तावित कार्रवाई
1.	स्टॉक रजिस्टर में Issue दर्शायी गई ईटों व माप पुस्तिका के अनुसार खरंजा निर्माण कार्यों पर Issue दिखाई गई एवं उपयोग में आयी ईटों की संख्या में 1,56,489 ईटों का अन्तर है, जिनकी राशि वसूली योग्य है।	3,76,826/–	1. प्रतिवेदन के अनुसार स्टॉक रजिस्टर में Issue दर्शाई गई एवं माप पुस्तिका के अनुसार उपयोग में आयी ईटों की संख्या में अन्तर है, जिनकी राशि रूपये 3,76,826/– सरपंच श्री चेतराम मटोरिया व तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मोहम्मद ईशाक खान से वसूली की कार्रवाई की जावे। 2. माप पुस्तिका अनुसार उपयोग से अधिक ईटों की राशि का गलत भुगतान करने के लिए सरपंच श्री चेतराम मटोरिया एवं तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मोहम्मद ईशाक

			खान के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे तथा जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् इस एफ.आई.आर. के निर्णायक स्तर पर पहुंचने तक फॉलोअप करें। 3. तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मोहम्मद ईशाक खान के विरूद्ध संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए सक्षम प्राधिकारी के स्तर से आरोप पत्र जारी किया जावे तथा सरपंच श्री चेतराम मटोरिया को पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।
2.	खड़ण्जा निर्माण में मिटटी का अनियमित भुगतान। यह कार्य बिना निविदा के किया गया, इसका बिल साधारण कागज पर लिया गया, वाउचर संख्या 53/4.3.09 पर प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं हैं, बिलों का इन्द्राज माप पुस्तिका में नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना पैमाईश, बिना तकनीकी जांच के भुगतान किया गया एवं मिट्टी ढुलाई हेतु प्रयोग में लिए गए वाहन का रजिस्ट्रेशन संख्या भी अंकित नहीं है।	3,88,678/–	1. प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता के लिए सरपंच श्री चेतराम मटोरिया एवं तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मोहम्मद ईशाक खान दोषी हैं। अतः इनसे राशि रूपये 3,88,678/– की नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जावे। 2. तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मोहम्मद ईशाक खान के विरूद्ध संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए सक्षम प्राधिकारी के स्तर से आरोप पत्र जारी किया जावे तथा सरपंच श्री चेतराम मटोरिया को पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।
3.	बी.एस.आर. से अधिक दर पर ईंटें क्रय करने से अधिक भुगतान	6,844/–	प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता के लिए सरपंच श्री चेतराम मटोरिया एवं तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मोहम्मद इशाक खान उत्तरदायी हैं। अतः दोनों से राशि रूपये 6,844/– की वसूली की कार्रवाई की जावे।
4.	श्रम मद के भुगतान में मस्टरोलों में कांट–छांट व ओवर राईटिंग करके अधिक भुगतान करना, अनुपस्थित को उपस्थित दिखाकर आदि तरीकों से अधिक भुगतान किए जाने की अनियमितता दर्शाई गई है।	4,44,938/–	प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता के लिए संबंधित मेट, रोजगार सहायक श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, सरपंच श्री चेतराम मटोरिया एवं तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मोहम्मद ईशाक खान उत्तरदायी हैं। अतः राशि रूपये 4,44,938/– की वसूली उक्त चारों कार्मिकों/लोकसेवकों से नियमानुसार कराने की कार्रवाई की जावे।
	कुल वसूली योग्य राशि	**12,17,286/–**	

नोट– कुल राशि रू. 12,17,286/– वसूल की जानी है।

2. पंचायती राज नियम 1996 के नियम–211 के अनुसार धन केवल चैकों के जरिए आहरित किया जायेगा। अन्य व्यक्तियों को रूपये 1000/– से अधिक राशि का प्रत्येक भुगतान Cheque के जरिए ही किया जायेगा जबकि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के बिलों की राशि 25,12,609/– का भुगतान नकद में किया गया

है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रम एफ 4(28)आर.डी. /नरेगा/09–10 दिनांक 11.11.2009 द्वारा सेल्फ के चैक आहरित नहीं करने तथा रूपये 1000/– से अधिक की किसी भी राशि का भुगतान केवल अकाउन्ट पेई चैक से ही करने के निर्देश जारी किये गये हैं। अतः पंचायती राज नियम एवं परिपत्र दिनांक 11.11.2009 की पालना सुनिश्चित करावे एवं नियमों की अवहेलना करने के लिए उत्तरदायी कार्मिकों/लोक सेवकों के विरूद्ध कार्रवाई की जावे।

3. ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री मद का भुगतान अधिकतर सफेद कागज पर बिल बनाकर नकद भुगतान उठाया गया है, बिलों पर कोई नम्बर अंकित नहीं हैं। कोई भी वाउचर नियमानुसार पारित नहीं है, टैक्स आदि नहीं काटा गया है। प्रतिवेदन के अनुसार निर्माण सामग्री का क्रय अपंजीकृत फर्मों से किया गया है एवं इनके द्वारा नियमानुसार बिक्री कर की राशि जमा नहीं कराई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा 1.4.2008 से 30.11.2009 तक क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिलों का विवरण वाणिज्यिक कर विभाग को भिजवाकर वेट (VAT) की वसूली की कार्रवाई करवाई जावे।

4. प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure registe) के संधारण करने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक एफ. 4 (40) आरडी / नरेगा /ट्रें/स्टेट/09–10 दिनांक 23.10.2009 द्वारा जारी किये गये हैं। अतः जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्ति मय संचयी व्यय रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure registe) का संधारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4(42)/ग्रावि/नरेगा/ग्रुप–III/06–07 दिनांक 22.3.2007 के अनुसार नरेगा कार्यों का जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा मानदण्डों के अनुसार गहन निरीक्षण समय--समय पर किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा ना तो कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया और ना ही रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर सहित पंचायत के किसी भी अभिलेख का निरीक्षण ही किया गया! इसके कारण कार्यों के मौके एवं अभिलेख में अनियमिताएं किए जाने से संबंधित कार्मिकों को प्रोत्साहन मिला है और नरेगा कार्यों का इच्छित पूर्ण लाभ गरीबों को नहीं मिल पाया है। निर्धारित मानदण्डानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित कार्यों एवं अभिलेख का निरीक्षण नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई कराने तथा भविष्य में ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं अभिलेखों का समय–समय पर निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

6. जिला एवं पंचायत समिति के स्तर से अधिकारियों द्वारा कार्यों एवं अभिलेख के निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में पूर्व दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को पुनः पत्रांक एफ.4 (29) आरडी/नरेगा/पार्ट–II/निरीक्षण दिनांक 29.

29.12.2009 से आदेश जारी किये हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए यह व्यवस्था की जावे कि जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा प्रतिमाह 10 तारीख तक पिछले माह में जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों के निरीक्षण अधिकारी वार विवरण प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अ.शा. पत्र के माध्यम से प्रेषित करें। इस कार्य की सतत् मोनिटरिंग की जानी आवश्यक है।

7. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ.4(16)ग्रा.वि./ग्रा.रो./नरेगा/ 06 दिनांक 27.3.2008, के बिन्दु संख्या 7.3.1, आदेश क्रमांकः एफ. 4(16)ग्रा.वि./नरेगा/06 दिनांक 14.11.2008, आदेश क्रमांकः एफ.4(5)आर.डी./नरेगा/2009–10 दिनांक 30.9.2009, के द्वारा नरेगा कार्य स्थलों पर पूर्ण विवरण सहित सूचना पट्ट लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं। निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान अधिकांश कार्यों पर कार्य संबंधो विवरण का सूचना पट्ट नहीं पाया गया। अतः प्रत्येक कार्य पर सूचना पट्ट लगवाया जाना सुनिश्चित करे।
8. प्रतिवेदन के अनुसार किसी भी कार्य की पत्रावली में तकनीकी स्वीकृति, तकमीना अथवा ड्राईंग उपलब्ध नहीं है। तकमीना कार्य का मौका देखकर नहीं बनाया जाता है। तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने के लिए सक्षम सीमा निर्धारण हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 8(1)ग्राविवि/जीकेएन/06 दिनांक 15.03.2007 एवं आदेश क्रमांक एफ 8(1)ग्रावि/ग्रुप–8/जीकेएन/06 दिनांक 11.07.2008 जारी किये हुए हैं। भविष्य में तकनीकी स्वीकृतियां पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में जारी कर पत्रावलियों में संलग्न की जावें तथा तकमीना कार्य का मौका देखकर ही बनाया जावे, इस हेतु अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, नरेगा को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
9. कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों, माप पुस्तिकाओं एवं मस्टरोलों में टास्क अंकित करने की दिनांक अंकित कराना तथा सरपंच, ग्राम सेवक एवं विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी के लिए भी हस्ताक्षरों के साथ तारीख अंकित करने के क्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 4(5) ग्रावि–3/नरेगा/09–10 दिनांक 02.09.2009 एवं आदेश क्रमांक एफ 4(29) ग्रावि./ग्रुप–3/नरेगा/निरी./सम.राज/09–10 दिनांक 15.12.2009 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में इन आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।
10. नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों को दिए गए अग्रिम समायोजन, यूसी/सीसी व अंक मिलान करना सुनिश्चित किए जाने के क्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 1(1) नरेगा/नकद/09–10 दिनांक 08.10.2009 द्वारा निर्देश जारी किए गए है। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में इन आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।
11. वसूली की कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 111(2) के अनुसार दिनांक 31.03.2010 तक आवश्यक रूप से कराया जाना सुनिश्चित करावें।

12. उक्त बिन्दुओं के मद्देनजर योजना के क्रियान्वयन में सुधार किया जाना आवश्यक है। आपके स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में उक्त अनियमितताओं एवं प्रतिवेदन में उल्लेखित अन्य अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

उपरोक्तानुसार कृपया जांच के दौरान दृष्टिगत हुई अनियमितताओं के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट 20 दिवस में प्रेषित कराने का कष्ट करें। यह भी आग्रह है कि कृपया आप कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उक्त बिन्दुओं की समस्त ग्राम पंचायतों में पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

4/2/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव
(ई.जी.एस.)

क्रमांकः F - 61(11) ग्रावि./नरेगा/सा.अ./वि.जां./ हनुमानगढ़/09–10 दिनांकः 831-34 8.2.10

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा जिला परिषद हनुमानगढ को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

8/2/10

निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

निरीक्षण रिपोर्ट

राजस्थान सरकार के आादेश क्रमांक एफ–4(7) ग्रावि/नरेगा/सा0अ0/2009–10 दिनांक 17.12.09 के क्रम में ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया, पंचायत समिति नोहर, जिला हनुमानगढ़ में दिनांक 01.04.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा योजनान्तर्गत किए गए/करवाए जा रहे कार्यों एवं समस्त व्यय की विस्तृत जांच हेतु गठित जांच दल द्वारा दिनांक 22.12.2009 को हनुमानगढ़ पहुंच कर जांच प्रारम्भ की गई।

ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया हनुमागनढ़ जिला मुख्यालय से 60 किमी. व पंचायत समिति मुख्यालय से 60 किमी. दूर है। ग्राम पंचायत में श्री चेतराम पुत्र श्री मालूराम मटोरिया फरवरी 2005 से सरपंच के पद पर कार्यरत हैं।

जिले के सम्बन्ध में अन्य सूचना निम्नानुसार हैं :–

पंचायत समितियां	ग्राम पंचायतें	ग्राम	पंचायत समिति नोहर में सम्मिलित ग्राम पंचायतें।
(3) हनुमागनढ़, नोहर, भादरा	251	1773	81
माह दिसम्बर 2009 गठित चार नई पंचायत समितियां संगरिया, टिब्बी, रावतसर, पीलीबंगा			

जिले में नरेगा योजना दिनांक 01 अप्रैल 2008 से प्रारम्भ हुई। योजना के प्रारम्भ से अब तक कार्यरत अधिकारी निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	पद	अधिकारी का नाम	अवधि
1	जिला कलक्टर एवं कार्यक्रम समन्वयक	श्रीमति मुग्धा सिन्हा	01.04.08 से 03.01.09 तक
		श्री नवीन जैन	03.01.09 से 27.08.09 तक
		डॉ0 रवि कुमार सुरपुर	27.08.09 से अब तक
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति0 कार्यक्रम समन्वयक	श्री शोभालाल मुंदड़ा	01.04.08 से 01.0909 तक
		श्री सोहनलाल पालीवाल	08.09.09 से अब तक
3	वरिष्ठ लेखाधिकारी	श्री महेन्द्र मोहन	01.04.08 से अब तक
4	अधिशाषी अभियन्ता	श्री मोहन श्याम जादौन	01.04.08 से 01.06.08 तक
		श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा	02.06.08 से अब तक
5	विकास अधिकारी, पं.स. नोहर	श्री सुलतान सिंह	01.04.08 से 06.07.08 तक
		श्री गोपीराम भाम्भू	07.07.08 से अब तक
6	कार्यक्रम अधिकारी पं.सं. नोहर	श्री सुलतान सिंह अतिरिक्त चार्ज, (कार्यक्रम अधिकारी)	01.04.08 से 06.07.08 तक
		श्री गोपीराम भाम्भू, अतिरिक्त चार्ज, (कार्यक्रम अधिकारी)	07.07.08 से 22.09.08 तक
		श्री पूनम चन्द्र सेन	22.09.08 से अब तक
7	वरिष्ठ तकनीकी सहायक, पं. स. नोहर	श्री सूरज भान (JEN)	01.04.08 से 23.04.08 तक
		श्री रणजीत कुमार	24.04.08 से 23.04.08 अब तक
8	सरपंच	श्री चेतराम मटोरिया	01.04.08 से अब तक
9	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	श्री सतीश कुमार	01.04.08 से अब तक
10	ग्राम सेवक	श्री मोहम्मद इशाक खान	01.04.08 से 03.12.09 तक
		श्री दिपचन्द्र शर्मा	15.12.09 से अब तक

11	ग्राम रोजगार सहायक	श्री नरेश कुमार/श्री जगदीश प्रसाद	01.04.08 से अब तक

ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया की कुल जनसंख्या 6800 (2001 की जनगणना के अनुसार) है। पंचायत में कुल 21 चक हैं जिनमें से 4 आबाद राजस्व गांव (रामपुरा मटोरिया, किकरालिया, 4–5एनडब्ल्युडी, 8एनडब्ल्युडी) हैं जिनमें कुल पंजिकृत परिवार 2142 हैं। जिनमें अनुसूचित जाति के 1206 परिवार हैं।

नरेगा प्रारम्भ होने के पश्चात वर्षवार ग्राम पंचायत द्वारा करवाऐ गए कार्यों की स्थिति

(राशि लाखों में)

वित्तिय वर्ष	कुल सम्पादित कार्य	व्यय राशि				ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई गई राशि	कार्य का प्रकार
		श्रम	सामग्री	प्रशासनिक व्यय	कुल		01.04.08 से 30.11.09 तक कुल स्वीकृत कार्य 75 (46 कार्यों में ग्राम पंचायत व 29 कार्यों में अन्य विभाग कार्यकारी एजेन्सी हैं) जिनमें से प्रारम्भ कार्य 44 जिनका विवरण निम्नानुसार है :–
2008–09	44	71.14 (56.63%)	53.91 (42.92%)	0.56	125.61	136.36	सुरक्षा खाई खुदाई–8, पौधा रोपण–1, डाला निर्माण–3, नहर सिल्ट सफाई व बर्म निर्माण–5, खालों का बर्म निर्माण–2, जोहड़ खुदाई–4, सा0स्थानों पर भुमि सुधार–3, खड़ण्जा मय नाली निर्माण–5, ग्रेवल सड़क–4, कुंड निर्माण–9
2009–10		41.38 (76.47%)	12.60 (23.28%)	0.13	54.11	49.82	

ग्राम पंचायत का नरेगा खाता पंजाब नैशनल बैंक शाखा रावतसर में खाता संख्या 0930001700113694 है जिसमें अन्तिम प्रविष्ट 06.11.2009 तक है जिसमें 10009 रूपये शेष हैं। ग्राम पंचायत का मिनी बैंक रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाता संख्या 2095 का अन्तिम शेष 11.11.09 को पासबुक के अनुसार 1004 रूपये तथा एमजीबी ग्रामीण बैंक में खाता संख्या 2061 का अन्तिम शेष 24.07.09 को पास बुक के अनुसार 632340 रूपये है।

पंचायत समिति नोहर के अनुसार ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया को वर्ष 2008–09 में 136.36 लाख रूपये व वर्ष 2009–10 में 12.50 लाख रूपये जारी किए गए हैं। वर्ष 2009–10 में श्रमिकों का भुगतान सीधे ही बैंक/पोस्ट ऑफिस में जिला परिषद स्तर से किया गया है।

सामग्री क्रय करने कार्य विधि :–

ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा व अन्य योजनाओं में निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु पाक्षिक सामाचार पत्र वोलटेज में दिनांक 06.10.08 व दिनांक 06.10.09 को विज्ञप्ति जारी कराई गई है। यह समाचार पत्र स्थानिय है। जबकि कम से कम राज्य स्तरिय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित होनी चाहिए थी। क्योंकि वर्ष 2008–09 में 53.91 लाख व वर्ष 2009–10 में माह नवम्बर 2009 तक 12.60 लाख रूपये की निर्माण सामग्री क्रय की गई। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न नरेगा कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री बजरी, ईन्ट, ग्रेवल, सिमेन्ट आदि बिना निविदा के क्रय की गई है। बड़े पैमाने पर कार्यों के बिल साधारण कागज पर

लिए जाकर भुगतान किया गया। जबकि लेखा नियमों के अनुसार एकाउंट पेई चैक से ही भुगतान किया जाना चाहिए था।

कार्यों की भौतिक जांच :–

ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया में नरेगा योजनान्तर्गत 01.04.08 को कुल 75 कार्य स्वीकृत किए गए जिनमें से 44 कार्य प्रारम्भ किए गए हैं। जांच दल द्वारा कुल 19 कार्यों का निरीक्षण किया गया। जिनमें से 3 कार्य सुरक्षा खाई खुदाई, 1 पौधारोपण, 3 नहर सिल्ट सफाई व बर्म निर्माण कार्य, 1 खालों का बर्म निर्माण, 2 कार्य जोहड़ खुदाई, 1 सार्वजनिक स्थानो पर भूमि सुधार, 2 खड़ण्जा मय नाली निर्माण, 3 ग्रेवल सड़क व 2 कुण्ड निर्माण कार्य हैं।

पंचायत द्वारा 11 कार्य पूर्ण बताए गए हैं। निरीक्षण किए गए कार्यों में राजकीय माधमिक विद्यालय, रामपुरा, सुरक्षा खाई खुदाई, कार्य ठीक है। हड्डा रोड़ी खाई खुदाई 8एनडब्ल्युडी में तीन तरफ खाई खोदी गई है एक तरफ खोदी गई खाई के पास ही वन विभाग द्वारा मशीन से अलग खाई और खोदी गई है जिसकी उपयोगिता नहीं है। वन विभाग द्वारा किए गए पौधारोपण नर्सरी में पौधों की खाई खुदाई, 8एनडब्ल्युडी में भी तीन तरफ खाई खोदी गई है एक साईड खुली होने से कार्य की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इस कार्य पर श्रम मद में स्वीकृत 1.01 लाख रूपये के विरूद्ध 1.10 लाख रूपये व्यय कर दिए गए हैं फिर भी तीन तरफ ही खाई खोदी गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्य ठीक है। विद्यालय में खेल मैदान में सुरक्षा खाई खुदाई का कार्य भी ठीक पाया गया।

एनडब्ल्युडी नहर सिल्ट सफाई व बर्म निर्माण व आरपीएम माईनर की सिल्ट सफाई व बर्म निर्माण, केकेएम माईनर की सिल्ट सफाई व बर्म खुदाई कार्य देखा गया। यह कार्य लोगों की मांग के अनुसार अच्छा कार्य है। इससे टेल तक पानी पहुंच पाता है। लेकिन बीच में कई स्थानों पर सिल्ट सफाई सही तरीके से नहीं हुई है। यह कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नहर का क्राससैक्शनस नहीं लिए गए जिसके कारण सही मात्रा में निकाली मिट्टी की गणना करना सभंव नहीं हो सकता है। अतः भविष्य में इस तरह के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 50–50 मी. के अन्तराल पर नहर का क्रासससैक्शनस भी लिया जावे।

जोहड़ खुदाई पर 8एनडब्ल्यूडी व जोहड़ कार्य 4केकेएम देखा गया। जोहड़ कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्षेत्र का कन्टूर प्लान तैयार किया जाए ताकि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त खोदी गई मिट्टी की गणना सही रूप से की जा सके।

ग्रेवल सड़क निर्माण 4एनडब्ल्यु डी से रामपुरा व 8एनडब्ल्युडी से रामपुरा व 4–5एनडब्ल्युडी से 3एनडब्ल्यूडी का निरीक्षण किया गया। ग्रेवल सड़क निर्माण में मोटाई 15 से 20 सेन्टीमीटर के मध्य होनी चाहिए। जबकि जांचे गए कार्यों में ग्रेवल की मोटाई 10 सेन्टीमीटर के आस–पास पाई गई।

खड़ण्जा मय नाली निर्माण मन्दिर से नत्थूराम के घर तक 4–5 एनडब्ल्युडी व खड़ण्जा मय नाली गोगामेड़ी गुवाड़ के पास रामपुरा का भी निरीक्षण किया गया। कार्यों की गुणवता ठीक है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय भूमि सुधार कार्य में मैदान समतलीकरण कराया गया।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरा में कुण्ड निर्माण का निरीक्षण किया। कार्य की गुणवता अच्छी है।

पक्के खालों का बर्म कार्य भी उपयोगी है। कई जगह आपसी विवाद के कारण कार्य प्रभावित होता है। खालों की मरम्मत का कार्य भी कराया जाना चाहिए।

निर्माण कार्यों की एमबी देखने पर पाया गया कि किए गए कार्य के कनिष्ट तकनीकी सहायक द्वारा किए गए इन्द्राज के पश्चात किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा चैक नहीं किया गया है ना ही उस कार्य के भुगतान के सम्बन्ध में टिप्पणी या सूचना अंकित की गई है।

अधिकांश कार्य स्थलों पर प्रदर्श बोर्ड नहीं पाए गए।

कार्यों के तकनीकी निरीक्षण की कमी पाई गई जिसका मुख्य कारण कार्य तकनीकी स्टॉफ के पास कार्य की अधिकता होना है। एक कनिष्ट तकनीकी सहायक द्वारा 11 पंचायतें देखी जाती हैं व पद रिक्त होने पर यह संख्या 22 भी हो जाती है। कार्य की अधिकता को देखते हुए उचित पर्यवेक्षण लगभग असंभव है। राजनीतिक प्रभाव के कारण कार्यों का क्रियान्वयन प्रभावित होता है।

किसी भी कार्य की पत्रावली में तकनीकी स्वीकृत, तकमीना अथवा ड्राईंग उपलब्ध नहीं है। यह प्रतीत होता है कि तकमीना कार्य का मौका देखकर नहीं बनाया जाता है। जिससे स्वीकृत राशि व कार्य पूर्ण होने की राशि में काफी अन्तर रह जाता है।

<u>ग्राम पंचायत की नरेगा के वित्तिय एवं लेखा सम्बन्धी अंकेक्षण का सारांश :–</u>

ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया के लेखा संधारण की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ पुस्तिका का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया है। पांच से सात वाउचरों की राशि का समूह/एकजाई का रोकड़ पुस्तिका में बिल दर्ज किए गए है। ग्राम पंचायत का कोई भी वाउचर नियमानुसार पारित नहीं है। राशि 2512609/– राशि का नकद भुगतान किया गया है। सामग्री क्रय हेतु कोई निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। सामग्री मद का भुगतान अधिकतर सफेद कागज पर बिल बना कर नकद भुगतान उठाया गया है। ग्रेवल का क्रय मै. सिहाग कन्शट्रक्शन क., लुणकरनसर से किया जाकर 1580970/– का भुगतान किया गया जिसमें 856715/– का नकद एवं 724255/– का चैक द्वारा भुगतान किया गया है। बिलों पर कोई बिल नम्बर अंकित नहीं है।

श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते में चैक द्वारा राशि जमा करवा कर किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पांच खड़ण्जा सड़क निर्माण करवाया गया है। जिसमें स्टॉक लेखा एवं माप पुस्तिका के पृष्ट क्रमांक 232 में दर्ज माप अनुसार 156489 ईन्टे अधिक ईश्यू पाई गई जिसकी कुल वसुली 2408/–प्रति हजार की दर से 376826/– की जानी है। ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अपने सगे भाई के नाम से सफेद कागज पर वाउचर तैयार कर विभिन्न कार्यों हेतु 419988/– का नकद भुगतान उठाया गया ।

मैं0 पुजा मार्बल उद्योग रावतसर को सीमेन्ट भुगतान की जांच पर पाया गया कि बिल नं. 3665 दिनांक 20.03.2009 राशि 42300/– जारी किया जबकि बिल नं. 3687 दिनांक 07.01.09 राशि 16450/– जारी किया गया। इसी प्रकार मै0 बाला जी स्टोन सप्लायर्स, रावतसर से सीमेन्ट थैला क्रय हेतु जारी बिल नं. 1934 दिनांक 28.08.09 एवं बिल सं. 1945 दिनांक 24.08.09 के जारी किया गया है।

खड़ण्जा निर्माण में मिट्टी का अनियमित भुगतान राशि 388678/– यह कार्य बिना निविदा के किया गया बिल साधारण कागज पर लिए जाकर भुगतान किया गया। नकद भुगतान श्री जगदीश/श्री मालूराम जो कि सरपंच के सगे भाई हैं को किया गया। वाउचर सं. 53/04.03.09 पर जगदीश द्वारा प्राप्त राशि के हस्ताक्षर ही नहीं है। बिलों का इन्द्राज माप पुस्तिका नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा

बिना पैमाईश बिना तकनीकी जांच के भुगतान किया गया। जिन साधारण कागज पर बनाए गए बिलों को आधार पर भुगतान किया गया है। उसमें मिट्टी ढुलाई हेतु प्रयोग में लिए गए वाहन का रजि0 संख्या व पैमाईश तक भी अंकित नहीं है। अतः किए गए भुगतान संदिग्ध प्रतीत होते है। जिसकी राशि वसूली योग्य है।

सभी तरफ के भुगतानों में किसी भी तरह का वैट व बिक्री कर का भुगतान नहीं दर्शाया गया है। नियमानुसार 5000/– रूपये से अधिक भुगतान पर रसीदी टिकट नहीं लगाए गए है।

ग्राम पंचायत की रोकड बही पर कार्यक्रम अधिकारी व विकास अधिकारी किसी के चेकिंग के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। कार्यों के अधिकारियों द्वारा किए गए निरिक्षण की स्थिति भी स्पष्ट ज्ञात नहीं होंती है। मस्टरोलस पर हस्ताक्षर के नीचे नाम व पदनाम अंकित नहीं है।

जिला परिषद् द्वारा एक निरिक्षण दल गठित किया गया है जिसमे श्री लीलाधर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी नरेगा, भगवती प्रसाद बीआरपी नरेगा व राजेंद्रप्रसाद डीआरपी नरेगा सदस्य है। जांच दल द्वारा ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया के लेखों की दि.7.12.09 से 11.12.09 तक विस्तृत जांच कर रिपोर्ट दी है।इस रिपोर्ट पर जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। रिपोर्ट की प्रति संलगन है। रिपोर्ट के अनुसार रोकड बही का संधारण नियमानुसार बिल अनुसार नहीं करना, बडी राशियों का नियम विरुद्व नकद भुगतान करना, निर्माण कार्यो हेतु बिना निविदा लाखों की सामग्री क्रय करना, सादे कागज पर बिल होना जिसमें टेक्स आदी नहीं काटने, बिना एमबी में एंट्री किए भुगतान करने आदी की गंभीर अनियमितताएं है।

बीएसआर से अधिक दर पर ईंटे क्रय करने से 6844रु का अधिक भुगतान करना, सप्लायर्स द्वारा बिल क्रमवार जारी नहीं करना, बाद की तिथि के बिल का क्रमांक पहले क्रय सामग्री के बिल से कम होना पाया गया है, जिसकी बिक्रिकर विभाग से जांच कराया जाना प्रस्तावित है। श्रम मद के भुगतान में मस्टरोलों में कांट/छांट व ओवरराइटिंग काफी अधिक है जिससे अनियमित भुगतान हुआ है। कुल 444938रु की राशि वसुली योग्य है विस्तृत विवरण जांच रिपोर्ट में अंकित है। यह राशि संबंधित मेट, रोजगार सहायक, सचिव व सरपंच से वसूला योग्य है।

<u>जांच के निष्कर्ष :–</u>

स्टॉक रजिस्टर में इश्यू दर्शायी गयी ईंटों व माप पुस्तिका के अनुसार खरंजा निर्माण कार्यों पर इश्यू दिखायी गयी व उपयोग में आयी ईंटों की संख्या में 1,56,489 ईंटों का अन्तर है, जिनकी राशि रूपये 3,76,826 सरपंच श्री चेतराम मटोरिया व तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मोहम्मद इशाक खान से वसूली योग्य है। स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ की प्रति 250–252/सी पर संलग्न है।

खड़ण्जा निर्माण में मिट्टी क्रय व ढूलाई का अनियमित भुगतान राशि 388678/– यह कार्य बिना निविदा के किया गया बिल साधारण कागज पर लिए जाकर भुगतान किया गया। नकद भुगतान श्री जगदीश/श्री मालूराम जो कि सरपंच के सगे भाई हैं को किया गया। वाउचर सं. 53/04.03.09 पर जगदीश द्वारा प्राप्त राशि के हस्ताक्षर ही नहीं है। बिलों का इन्द्राज माप पुस्तिका नहीं किया गया। खरंजा निर्माण में मिट्टी का अनियमित भुगतान जो बिना निविदा के सादा कागज पर लिये गये बिल व वाउचर पर बिना प्राप्ति हस्ताक्षर किये तथा बिलों का इन्द्राज माप पुस्तिका में नहीं होने व ग्राम पंचायत द्वारा बिना पैमाईश व बिना तकनीकी जांच के भुगतान हेतु सरपंच श्री चेतराम मटोरिया व तत्कालीन ग्राम

5/7

सेवक श्री मोहम्मद इशाक खान दोषी हैं, जिनसे 3,88,678 रूपये वसूली योग्य है। जिसकी राशि संरपंच एवं ग्राम सेवक से वसूली योग्य है।

बीएसआर से अधिक दर पर ईंटे क्रय करने से कुल 6,844 रूपये की राशि सरपंच श्री चेतराम मटोरिया व तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मोहम्मद इशाक खान से वसूली योग्य है।

ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया में नरेगा योजनान्तर्गत कराए गए कार्यों की गुणवत्ता सामान्यतया ठीक है। पंचायत में सामग्री क्रय में प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताएं हुई है। साथ ही रिकार्ड संधारण भी नियमानुसार नहीं है। नहरों की सिल्ट सफाई व बर्म खुदाई कार्यों में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नहर का क्राससैक्शनस नहीं लिए गए जिसके कारण सही मात्रा में निकाली मिट्टी की गणना करना सभंव नहीं हो सकता है। अतः भविष्य में इस तरह के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 50–50 मी. के अन्तराल पर नहर का क्राससैक्शनस भी लिया जावे। जोहड़ कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्षेत्र का कन्टूर प्लान तैयार किया जाए ताकि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त खोदी गई मिट्टी की गणना सही रूप से की जा सके।

ग्रेवल सड़क निर्माण में मोटाई 15 से 20 सेन्टीमीटर के मध्य होनी चाहिए। जबकि जांचे गए कार्यों में ग्रेवल की मोटाई 10 सेन्टीमीटर के आस–पास पाई गई। माप पुस्तिका में किए गए कार्यो के अनुरुप ही इंद्राज किया गया है अतः वसूली योग्य नहीं है।

मस्टरोलों में कटिंग व ओवर राइटिंग होने से अनियमित भुगतान के लिए संबंधित मैट, रोजगार सहायक श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद तथा सरपंच श्री चेतराम मटोरिया व तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मोहम्मद इशाक खान दोषी हैं। मस्टरोल व कार्यवार अधिक भुगतान की गयी राशि का विवरण 259–261/सी पर संलग्न है।

निर्माण कार्यों की एमबी देखने पर पाया गया कि किए गए कार्य के कनिष्ट तकनीकी सहायक द्वारा किए गए इन्द्राज के पश्चात किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा चैक नहीं किया गया है ना ही उस कार्य के भुगतान के सम्बन्ध में टिप्पणी या सूचना अंकित की गई है।

अधिकांश कार्य स्थलों पर प्रदर्श बोर्ड नहीं पाए गए।

कार्यों के तकनीकी निरीक्षण की कमी पाई गई जिसका मुख्य कारण कार्य तकनीकी स्टॉफ के पास कार्य की अधिकता होना है। एक कनिष्ट तकनीकी सहायक द्वारा 11 पंचायतें देखी जाती हैं व पद रिक्त होने पर यह संख्या 22 भी हो जाती है। कार्य की अधिकता को देखते हुए उचित पर्यवेक्षण लगभग असंभव है। किसी भी कार्य की पत्रावली में तकनीकी स्वीकृत, तकमीना अथवा ड्राईंग उपलब्ध नहीं है। कार्य प्रारंभ होने, कार्य के दौरान व कार्य पूर्ण हो जाने पर फोटोग्राफ/ विडियोग्राफी की जानी आवश्यक है जो नहीं की जा रही है। यह प्रतीत होता है कि तकमीना कार्य का मौका देखकर नहीं बनाया जाता है। जिससे स्वीकृत राशि व कार्य पूर्ण होने की राशि में काफी अन्तर रह जाता है। इतनी अधिक संख्या व राशि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में गुण नियंत्रण स्थापित कराया जाना उचित होगा। साथ ही उचित अंतराल पर पर्यवेक्षण की महत्तता को देखते हुए तकनिकी विंग को भी सशक्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया में हुए दो अच्छे कार्यो की रिपोर्ट संलग्न है।

ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया में वर्तमान में नरेगा योजनांतर्गत एक ही कार्य प्रगति पर है– 4 केकेएम में जोहड खुदाई कार्य जिसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रारुप में संलग्न है।

(7)

जांच आदेश के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं संलग्न हैं।

परियोजना अधिकारी लेखा जिला परिषद्, हनुमानगढ	परियोजना अधिकारी अभियांत्रिकी ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (SGSY) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर

संलग्न: परिशिष्ट 1 · पृष्ठ सं. 8-10.

प्रपत्र 6 — पृष्ठ 11 — [illegible]

प्रपत्र 1 — पृष्ठ 12-13 — [illegible]

पृष्ठ 14-15 — नरेगा [illegible]

पृष्ठ 16-19 — [illegible]

पृष्ठ 20-174 — [illegible]

पृष्ठ 175-232 — [illegible] रिपोर्ट

पृष्ठ 233-239 — [illegible] की जांच रिपोर्ट

[illegible] 34 — रंगीन फोटोग्राफ

7/7